अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों/स्वायत्तशाषी निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से संबंधित है। सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों, आर्थिक क्षेत्र के विभागों, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, राज्य सरकार के वित्त पर प्रेक्षणों एवं स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में उजागर हुए प्रेक्षणों पर प्रतिवेदनों को भी पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ-साथ, यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रम/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययिता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण स्तर, लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व के अनुसार होने चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष प्रत्याशा करते हैं कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक उपाय लेने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु उसका मार्ग-दर्शन करेंगे, एवं इस प्रकार उसे अच्छे शासन में भागीदार बनायेंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं व्याप्तियों की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में चयनित कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय 3 में सरकारी विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण शामिल है।

1.2 लेखा परीक्षित इकाईयों का खाका

राजस्थान सरकार के अन्तर्गत 90 विभाग, जो कि मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित एवं उनके अन्तर्गत आने वाले उपशासन सचिवों/आयुक्तों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोगित किये जाते हैं,

तथा 267 स्वायत्तशाषी निकाय हैं, जिनकी प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर द्वारा, लेखापरीक्षा की जाती हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका-1** में दी गयी हैं।

तालिका 1 : व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विषय	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजना	आयोजना भिन्न	योग	आयोजना	आयोजना भिन्न	योग	आयोजना	आयोजना भिन्न	योग
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवाऐं	101	15,546	15,647	175	16,562	16,737	422	18,287	18,709
सामाजिक सेवाऐं	3,007	13,487	16,494	3,929	13,966	17,895	5,947	15,981	21,928
आर्थिक सेवाऐं	3,179	4,793	7,972	4,649	5,571	10,220	5,780	6,964	12,744
सहायतार्थ अनुदान	–	19	19	–	21	21	267	6	273
योग	**6,287**	**33,845**	**40,132**	**8,753**	**36,120**	**44,873**	**12,416**	**41,238**	**53,654**
पूँजीगत व्यय									
पूँजीगत परिव्यय	5,819	(–) 644[1]	5,175	5,231	20	5,251	7,103	16	7,119
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	463	35	498	189	73	262	1,051	58	1,109
लोक ऋण की अदायगी			2,945	–	–	3,317	-	-	3,490
आकस्मिकता निधि			–	–	–	–	-	-	-
लोक लेखा संवितरण			1,07,714	–	–	1,16,298	-	-	1,22,320
योग			**1,16,332**	–	–	**1,25,128**	8154	74	**1,34,038**
कुल योग			**1,56,464**	–	–	**1,70,001**	**20,570**	41,312	**1,87,692**

स्त्रोत: वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी हैं। प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा

1. ऋणात्मक संख्या राजस्थान राज्य निवेश निधि से ₹ 688 करोड़ हस्तान्तरण के कारण हैं।

सीएजी (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाओं की शर्ते) अधिनियम की धारा 13[2], 14[3], 15[4], 17[5], 19(2)[6], 19(3) एवं 20[7] के अन्तर्गत करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए सिद्वान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी मैन्युअलों में निर्दिष्ट की गयी हैं।

1.4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान का संगठनात्मक ढाँचा

सीएजी के निर्देशों के अंतर्गत, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं की लेखापरीक्षा, चार समूहों द्वारा संचालित करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान 57 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि की चयनित इकाईयों की वित्तीय अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

2. (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों, (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेनदेनों एवं (iii) सभी व्यापार निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
3. (i) राज्य की समेकित निधि मे से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहाँ ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नहीं हो, की लेखापरीक्षा।
4 भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को सन्तुष्ट करता है कि उन शर्तों की पूर्ति कर ली गयी है, जिनके अन्तर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
5. भंण्ड़ार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।
6 सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाये गये नियमों या उनके अंतर्गत संस्थापित किये गये निगमों (कम्पनियों के अलावा) के लेखाओं की लेखापरीक्षा ।
7. राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तो एवं निबंधनों पर जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच तय की गयी हों।

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिंताओं पर आधारित, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/ स्वायत्तशाषी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का समावेश करते हुए इकाई के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। इकाईयों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर जवाब प्रेषित करने हेतु, निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 13,180 इकाईयों में से 1,743 में, 13,654 लेखापरीक्षा दल दिवसों को लेखापरीक्षा के लिए उपयोजित किया गया। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिम के प्रति असुरक्षित थीं।

1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षो में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया।

1.6.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में 'राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा' तथा 'विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण अंशों की निम्न अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

1.6.1.1 राजस्थान में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा

राजस्थान में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र (3,42,239 वर्ग किमी) का 4.7 प्रतिशत (16,087 वर्ग किमी) वन आवरण है। भूमि उपयोग स्वरूप, वन भूमि आवरण में कमी एवं मरूस्थल भूमि में वृद्धि को दर्शाता है। वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य ने राजस्थान राज्य वन नीति, वर्ष 2010 में जा कर बनाई।

सरकार द्वारा उठाये गये अपर्याप्त उपायों के कारण संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने वन नीति में निर्धारित कुल संरक्षित क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र के पॉच प्रतिशत तक की वृद्धि करने में पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाया। आगे, सरकार, पहले से ही 'संरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित क्षेत्र की, प्रभावी ढंग से सुरक्षा करने में सक्षम नहीं रही। क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का सृजन, इसकी स्थापना के मानदण्डों को पूरा नहीं करते। अनुवांशिक बदलाव रोकने के लिए, एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे से जोड़ कर कोरिडोर्स सृजित नहीं किये गये। लोगों का संरक्षित क्षेत्र से अपर्याप्त विस्थापन वन्य जीवन के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ था। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर ध्यान नहीं देने के परिणामस्वरूप, मध्यम सघन वनों में कमी तथा अतिक्रमण, खनन और चराई के प्रकरणों में वृद्धि हो रही थी। सभी वन खण्डों को अधिसूचित नहीं किया जाना, राजस्व नक्शे पर वन क्षेत्रों के सीमांकन की कमी एवं वन नक्शों के डिजिटाईजेशन का अभाव आदि ने भी वन भूमि की कानूनी सुरक्षा को प्रभावित किया। सीमावर्ती कर्मचारियों की कमी ने भी वन भूमि एवं वन्य जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षण को प्रभावित किया। पारिस्थितिकी विकास अधिभार के रूप में एकत्रित की गई राशि को पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.1)

1.6.1.2 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना

'कम्प्यूटर शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना', विद्यालयों विशेषतया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदान करने हेतु, भारत सरकार द्वारा घोषित एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समूह राजस्थान ने चरण-I में 2,500 तथा चरण- II में 2,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मंजूरी दी। योजना की क्रियान्विति निर्माण-स्वामित्व-परिचालन-हस्तान्तरण (बूट) मॉडल के आधार पर दो चरणों में की गई।

योजना के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार को भेजे गये कम्प्यूटर शिक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रारम्भिक चयन में, पूर्व योजनाओं में आवृत विद्यालयों के दोहराव, आधारभूत ढांचा सुविधाऐं सुनिश्चितता का अभाव, चरण- I के अनुबन्ध में इन्टरनेट के

प्रावधान का अभाव, दोनों चरणों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर प्रदान करने में विलम्ब तथा चरण- II की निविदाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब, पाया गया। विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना में देरी की गई, चरण- II में विद्यालयों में इन्टरनेट संयोजन प्रदान नहीं किये गये अथवा कार्यशील नहीं थे। फर्मों द्वारा चोरी किये गये हार्डवेयर एवं उपकरणों को पुन: स्थापित नहीं किया गया। सामर्थ्य बढ़ोतरी का कार्य पृष्ठभूमि में रहा, कम्प्यूटर से शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल के विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्धता नहीं पाई गई। फर्मों द्वारा चरण- II में 'प्रबन्धकीय सूचना व्यवस्था' अन्तरसक्रिय सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था जो नहीं कराया गया। परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समूह को प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजे गये, राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति स्थापित नहीं की गई एवं उपनिदेशक स्तरीय अनुश्रवण समिति स्थापित नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2)

1.6.2 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियाँ उजागर की जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष (18 अनुच्छेद) अध्याय 3 में प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्धित हैं:

1.6.2.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। इस प्रतिवेदन में नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं करने के ₹ 75.77 करोड़ के प्रकरण सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा ₹ 63.99 करोड़ की आर्थिक सहायता का सूखा प्रभावित किसानों के बकाया ऋणों के विरूद्व समायोजन करने से रोक नहीं पाने से उनको तुरन्त सहायता वितरण के सुनिश्चयन में, विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.1.1)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदत राशि ₹ 10.25 करोड़ का, प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण व भूमि क्रय हेतु अनाधिकृत विपथन किया गया।

(अनुच्छेद 3.1.2)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा संवेदकों को पूर्ण भुगतान अनुमत्य करने व ₹ 1.53 करोड़ रॉयल्टी की कम/देरी से कटौती करने पर अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा, अनधिकृत खुदाई के लिए रॉयल्टी का 10 गुणा दण्ड भी नहीं लगाया गया।

(अनुच्छेद 3.1.3)

1.6.2.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

लोक निधियों से व्यय की प्राधिकृति, सार्वजनिक व्यय को करने की औचित्यता एवं दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होनी चाहिये। प्राधिकारियों, जो कि व्यय करने के लिए प्राधिकृत है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसी सतर्कता के साथ व्यय करेंगे जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि को व्यय करने में बरतता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यता एवं अतिरिक्त व्यय के ₹ 2.01 करोड़ के प्रकरण दर्शित हुए। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं को साझेदारी में स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना एक निजी संस्थान को ₹ एक करोड़ का अनुदान दिया गया तथा अनुदान द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में नहीं लिये जाने से विभाग राज्य के हित को बचाने में भी विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.2.1)

योग्य मानव शक्ति को सुनिश्चित किये बिना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने ₹ 1.01 करोड़ की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों का प्रापण किया, परिणामस्वरूप व्यय निष्फल रहा एवं लाभार्थी मशीनों से होने वाले वांछित लाभों से वंचित रहे।

(अनुच्छेद 3.2.2)

1.6.2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष बाद भी जारी रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली में विद्यामान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा में बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना, न केवल कार्यपालक के गंभीर नहीं होने का सूचक है, बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी सूचक है। इसकी परिणिति नियमों/विनियमों के पालन में जानबूझकर किये गये विचलनों को प्रोत्साहित करना है जो परिणामत: प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में सतत् एवं व्यापक अनियमितताओं का निम्नलिखित प्रकरण विदित हुआ:

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जॉच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 93.59 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ, जबकि यह तथ्य पूर्व के प्रतिवेदनों में भी उजागर किये गये थे।

(अनुच्छेद 3.3.1)

1.6.2.4 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

सरकार संरचनात्मक ढॉचे तथा सार्वजनिक सेवाओं के उन्नयन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आदि के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये हैं जिनमें सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए निर्मोचित की गई निधियाँ अनिश्चयता, प्रशासकीय दृष्टिचूक एवं विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही के कारण अनुपयोजित/अवरोधित रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा नमूना जॉच में शासन की विफलता/दृष्टिचूक के सूचित किये गये मामलों में ₹ 78.47 करोड़ की राशि शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने 2005-12 (2010-11 को छोडकर) के दौरान प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर जल उपकर का केवल 25 प्रतिशत (₹ 7.31 करोड़) ही व्यय किया। इसके अतिरिक्त मानवशक्ति एवं अप्रयोजित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रगति धीमी रही।

(अनुच्छेद 3.4.1)

श्रम विभाग की निष्क्रियता के कारण यूनिसेफ से ₹ 1.03 करोड़ की सहायता लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे उदयपुर के सीमान्त खण्डों में बच्चों के अवैध व्यापार को खत्म करने के यथार्थ उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(अनुच्छेद 3.4.2)

श्रम विभाग में नियमों को बनाने में लगभग नौ वर्ष की देरी हुई, योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मानव शक्ति अपर्याप्त थी, नियोक्ताओं तथा लाभार्थियों का पंजीकरण अपूर्ण था, उपकर या तो संग्रहित नहीं किया गया था या राज्य सरकार के पास पड़ा था, अधिशेष निधियाँ निवेश नहीं की गई, तथा अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही नही थी।

(अनुच्छेद 3.4.3)

भारत सरकार/राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी से कैंसर के इलाज के लिए परिष्कृत उपकरणों की खरीद हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त की गई राशि ₹ 3.51 करोड़ उनके परिचालन की उचित योजना के अभाव में एक/दो से अधिक वर्षो तक अनुपयोगी रही।

(अनुच्छेद 3.4.4)

कमजोर अनुश्रवण के कारण ₹ 3.18 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना सुदृढ़ नहीं हुई तथा राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास जनवरी 2001 से अनुपयोगी पड़ी रही।

(अनुच्छेद 3.4.5)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रस्ताव निवेदन के प्रावधानों (आरएफपी) के अनुसार कार्यवाही एवं सेवा को मापने हेतु उचित विनियामक तंत्र स्थापित नहीं करने से जिकित्सा हैल्थ केयर लिमिटेड, मुम्बई को अदेय लाभ पहुँचाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आपात सेवा प्रदाता के असत्यापित दावों का भुगतान हुआ।

अनुच्छेद 3.4.6)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चार वर्ष से भी अधिक समय तक ₹ सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता उपयोग में लेने में असफल रहा जिसके कारण निर्धारित वन्ध्यीकरण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.4.7)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों की निर्माण कार्य तथा समय पर सुपुर्दगी में प्रभावी अनुश्रवण में असफलता के कारण स्वीकृत राशि ₹ 13.85 करोड़ जारी होने के बावजूद लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ नहीं मिल सका

(अनुच्छेद 3.4.8)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने मकराना कस्बे में ₹ 19.15 करोड़ की राशि व्यय करने के बाद भी शहरी जल प्रदाय योजना में ढाई वर्षों की देरी की। इसके अतिरिक्त, पैकेज 01 तथा 03 के कार्य देरी से आवंटित करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की लागत बढी।

(अनुच्छेद 3.4.9)

बांसवाड़ा मल निकास योजना के निष्पादन में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की आयोजना के अभाव के कारण इसे चालू नहीं कर सकने से पिछले 25 वर्षो से लाभार्थियों को मल निकास सुविधा से वंचित रहना पड़ा तथा ₹ 4.81 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.4.10)

तकनीकी शिक्षा विभाग (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय) में बकाया विकास शुल्क के संग्रहण में आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण का अभाव रहा, जिसके परिणामस्वरूप 157 सम्बद्ध महाविद्यालयों से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के विकास शुल्क ₹ 4.24 करोड़ की वसूली विलम्ब/नहीं करने से उन्हें अदेय लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद 3.4.11)

1.7 समीक्षाओं/प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का प्रति उत्तर

वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर तीन सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर देने हेतु सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। (अगस्त 1969)।

तदनुसार, प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं तीन सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने हेतु निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय 2 एवं 3 में लिये गये 20 अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से चार के प्रत्युत्तर सम्बन्धित विभागों ने प्रेषित नहीं किये। 16 अनुच्छेदों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/ निष्पादन समीक्षाओं पर बकाया एटीएन की समीक्षा में पाया गया कि नवम्बर 2012 को संबंधित विभागों से नौ एटीएन[8] लम्बित थे।

8. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2010-11 के अनुच्छेद 2.3.2.1, 2.4 एवं 2.5 एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2010-11 के अनुच्छेद 3.1.1, 3.1.6, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.5 एवं 3.4.6 ।